स्पेशल टास्क फोर्स, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

प्रेस नोट संख्याः 93, दिनांकः 26–03–2024

दिनांक 11–02–2024 को आयोजित समीक्षा अधिकारी/सहायक समीक्षा अधिकारी (प्रारम्भिक) परीक्षा–2023 का प्रश्नपत्र लीक कराने वाले गैंग का 01 सदस्य गिरफ्तार।

दिनांक 25–03–2025 को एस0टी0एफ0 उ0प्र0 को समीक्षा अधिकारी/सहायक समीक्षा अधिकारी (प्रारम्भिक) परीक्षा–2023 का प्रश्नपत्र लीक कराने वाले गैंग के 01 सदस्य को गिरफ्तार करने में सफलता प्राप्त हुई है।

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरणः–

1– जय सिंह पुत्र सियाराम निवासी–ग्रा0 बेटावर बच्छाव, थाना रोहनिया, जनपद वाराणसी।

गिरफ्तारी का स्थान/दिनांकः–

बेटावर बच्छाव थाना रोहनिया जनपद वाराणसी। दिनांक 25–03–2025 समय 19.30 बजे।

उ0प्र0 लोक सेवा आयोग प्रयागराज द्वारा समीक्षा अधिकारी/सहायक समीक्षा अधिकारी (प्रारम्भिक) परीक्षा–2023 दिनांक 11–02–2024 को प्रदेश के विभिन्न परीक्षा केन्द्रों पर आयोजित की गयी थी। उक्त परीक्षा प्रारम्भ होने से पूर्व ही प्रश्नपत्र सोशल मीडिया पर वायरल होने की शिकायत मिलने पर उ0प्र0 शासन द्वारा उक्त परीक्षा को निरस्त करते हुये प्रश्नपत्र लीक प्रकरण की सम्पूर्ण जॉच एस0टी0एफ0 उ0प्र0 को आवंटित की गयी, जिसके क्रम में एस0टी0एफ0 उ0प्र0 के उच्चाधिकारीगण द्वारा कमेटी गठित कर प्रश्नपत्र लीक प्रकरण का अनावरण करने हेतु आवश्यक निर्देश दिये गये थे। जिसके अनुपालन में श्री लाल प्रताप सिंह, अपर पुलिस अधीक्षक, एसटीएफ उ0प्र0 लखनऊ के पर्यवेक्षण में ठीम गठित कर अभिसूचना संकलन की कार्यवाही की जा रही थी।

उक्त प्रकरण से संबंधित मु0अ0सं0 74/2024 थाना सिविल लाइन प्रयागराज की विवेचना निरीक्षक अंजनी कुमार पाण्डेय एस0टी0एफ0 मुख्यालय लखनऊ के द्वारा की जा रही है, को अभिसूचना संकलन से मुकदमा उपरोक्त में एक वर्ष से फरार चल रहे वांछित अभियुक्त जय सिंह उपरोक्त के सम्बन्ध में जानकारी प्राप्त हुई। प्राप्त जानकारी के आधार पर सहविवेचक/उपनिरीक्षक मनोज कुमार, मु0आ0 गौरव सिंह, शेर बहादुर की टीम द्वारा अभियुक्त उपरोक्त को गिरफ्तार कर लिया गया।

पूछताछ पर जय सिंह उपरोक्त ने बताया कि मैंने समीक्षा अधिकारी/सहायक समीक्षा अधिकारी 2023 परीक्षा का फॉर्म भरा था। इसी दौरान बीएचयू कैंपस के मधुबन पार्क में सुभाष प्रकाश नाम के व्यक्ति से मुलाकात हुई। उसने कहा कि मेरा कई अधिकारियों से संपर्क है। मैं और मेरे साथी परीक्षाओं का पेपर आउट करते हैं। सुभाष प्रकाश ने अपना मोबाइल नंबर दिया था, जिससे मेरी व्हाट्सएप से बात होने लगी। उसके पश्चात उसने मुझे विवेक उपाध्याय का मोबाइल नंबर दिया जिसने मुझे भोपाल आने को कहा। उन लोगों के कहने पर मैं दिनांक 07–02–2024 को ट्रेन से अगले दिन सुबह 8.00 बजे भोपाल पहुंचा। जहां से इन लोगों ने मुझे होटल कमल पैलेस आनंद नगर भोपाल में रूकवाया। अगले दिन दोपहर को सुभाष प्रकाश और विवेक उपाध्याय आदि तीन–चार लोग पेपर लेकर पहुंचे थे। पेपर में समीक्षा अधिकारी/सहायक समीक्षा अधिकारी 2023 की परीक्षा का सामान्य अध्ययन और हिंदी के प्रश्न थे। उन लोगों ने प्रश्न पत्र को गूगल के माध्यम से हल करवाया था एवं हम सभी लोगों को

प्रश्न उत्तर पढ़ने को दिया था। शाम को हम सभी लोगों से प्रश्न उत्तर आदि वापस ले लिये थे एवं वापस जाकर परीक्षा देने को कहा गया था। दिनांक 11/02/2024 को समीक्षा अधिकारी/सहायक समीक्षा अधिकारी–2023 की परीक्षा दी थी जिसमें वही प्रश्न आये थे जो कि सुभाष प्रकाश और विवेक उपाध्याय व उसके साथियों ने भोपाल के होटल में दिये थे। इसके लिये सुभाष प्रकाश से 12–15 लाख रूपये में सौदा हुआ था। इस सम्बन्ध में सुभाष प्रकाश और विवेक उपाध्याय को उसके साथियों सहित दिनांक 23.06.2024 को एसटीएफ द्वारा गिरफ्तार कर जेल भेजा जा चुका है।

गिरफ्तार अभियुक्तों को जनपद प्रयागराज के थाना सिविल लाइन्स पर पंजीकृत मु0अ0सं0 74/2024 धारा 419, 420, 465, 467, 468, 471, 34/120बी/201 आई0पी0सी0 व 3/4/9/10 उ0प्र0 सार्वजनिक परीक्षा अधिनियम 1998 व 66 आई0टी0 एक्ट में दाखिल किया गया। अग्रिम विधिक कार्यवाही तद्नुसार की जा रही है।